https://newsth.live/fb https://newsth.live/x https://newsth.live/ig

Vol. 15 · No. 210

Regd. DL(ND)-11/6110/2006-07-08 RNI No. UPENG/2012/49940

Printed at » Chennai » Coimbatore » Bengaluru » Hyderabad » Madurai » Noida » Visakhapatnam » Thiruvananthapuram » Kochi » Vijayawada » Mangaluru » Tiruchirapalli » Kolkata » Hubballi » Mohali » Malappuram » Mumbai » Lucknow » Cuttack » Patna



NEWS » PAGE 11

श्रीलंकाई तमिलों को छट मिली





हवाई अड्डे व्हीलचेयर के उपयोग पर शुल्क ले सकते हैं NEWS » PAGE 12

EDITORIAL » PAGE 6





मनदीप के गोल से भारत ने ड्रॉ हासिल किया

IN BRIEF



नदी का जलस्तर बढने से दिल्ली में 8,000 से अधिक लोगों को निकाला गया

NEW DELHI

राष्ट्रीय राजधानी के छह जिलों के 8.000 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर बुधवार

को भी बढ़ता रहा।» Page 2

मराठा आरक्षण विवाद: ओबीसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी

MUMBAI

मराठा आरक्षण विवाद बुधवार को और बढ़ गया जब ओबीसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी और वरिष्ठ राकांपा नेता एवं मंत्री छगन भुजबल ने घोषणा की कि वह पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का

रुख करेंगे।» Page 4

जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी दो-दर कर स्लैब को मंजूरी दी

सरकार ने स्लैब को 5% और 18% पर बरकरार रखा; तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे सामानों के लिए 40% की 'विशेष' दर लागू की; जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसियों पर कर हटाया; इस कदम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, जीवन रक्षक दवाओं, सीमेंट की कीमतों में कमी आने की संभावना

The Hindu Bureau NEW DELHI

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में कर ढांचे को केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार मुख्यतः दो-दर प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया है।

5% और 18% की दो दरों के अलावा, नई जीएसटी प्रणाली में तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं और बड़ी कारों, नौकाओं और हेलीकॉप्टर जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40% की "विशेष दर" भी शामिल होगी।

उन्होंने कहा कि ये निर्णय अधिकांश वस्तुओं पर 22 सितंबर से लागू होंगे। केवल तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पाद ही वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित तिथि पर नए ढांचे में शामिल होंगे।



सूची जारी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बात करती हुईं। पीटीआई

सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2023-24 में उपभोग के पैटर्न के आधार पर, ब्याज दरों में कटौती का शुद्ध राजकोषीय प्रभाव ₹48,000 करोड़ होगा। हालाँकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रभाव वर्तमान उपभोग के आधार पर ही पता चलेगा, और दरों को युक्तिसंगत बनाने से उत्साहवर्धक प्रभाव और बेहतर अनुपालन की

उम्मीद है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी पर लगाए गए हर कर की गहन जाँच की गई है, और ज़्यादातर मामलों में, दरें कम हुई हैं। श्रम-प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। इन फैसलों से किसानों और कृषि को लाभ

होगा। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को भी लाभ होगा।"

उन्होंने कहा कि आम इस्तेमाल और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर कर में कमी आएगी, जैसें कि हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल और रसोई के बर्तन, और अन्य घरेलू सामान, जिनकी कर दर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। 5% की दर से नीचे आने वाली अन्य वस्तुओं में नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नुडल्स, चॉकलेट, कॉफी और मक्खन शामिल हैं। बारह निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, जैव-मेन्थॉल, और श्रम-प्रधान वस्तुएँ जैसे हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के सामान, 12% से घटाकर 5% कर दिए जाएँगे। उल्लेखनीय रूप से, सीमेंट की कर दर 28% से घटाकर 18%

कर दी जाएगी।

भारतीय ब्रेड पर कोई कर नहीं

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उच्च तापमान वाले दुध, पनीर और रोटी, चपाती और पराठे सहित सभी भारतीय ब्रेड पर कर की दर पहले के 5% से घटकर 0% हो जाएगी।

बीमा सेवाओं, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर कर की दर 18% से घटकर 0% हो जाएगी। कुल ३३ जीवन रक्षक दवाओं पर कर की दर 12% से घटकर 0% हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 5% हीं रहेगी।

CONTINUED ON » PAGE 10 **KEY REDUCTIONS** » PAGE 10

राज्यपालों को विधेयकों पर 'तुरंत' कार्रवाई करनी चाहिए: राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी

राज्यपाल वर्षों तक विधेयकों 🕇 पर अटके रहकर संघर्ष पैदा करते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता पर उनका संदेह एक भ्रांति है।



गैर-भाजपा शासित राज्यों ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामलें में दिए गए फैसले में दी गई तीन महीने की समय-सीमा भी बहुत लंबी हो सकती है, और राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत राज्य विधेयकों को इन "शीर्षक प्रमुखों" द्वारा तुरंत स्वीकृत किया जाना

पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों में जनता की इच्छा को राज्यपालों की सनक और मनमर्जी की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधेयकों पर रोक लगाकर बैठना, स्वीकृति देने से इनकार करने का एक छिपा हुआ बहाना है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित कानूनों को पुनर्विचार के लिए विँधानमंडल को वापस करना ज़रूरी नहीं है।

तीनों राज्यों ने कहा कि अगर केंद्र चाहता है कि वे यह मानकर चलें कि राज्यपाल जैसा उच्च संवैधानिक प्राधिकारी विधेयकों पर विचार करते समय ईमानदारी से काम करेगा, तो यही शिष्टाचार राज्य विधानमंडलों के प्रति भी होना चाहिए, जो भी उच्च संवैधानिक प्राधिकारी हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गवर्ड की दलील का समर्थन करते हुए कहा कि अनच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल को किसी विधेयक से असहमत होने पर उसे "यथाशीघ्र" राज्य विधानमंडल को लौटाना आवश्यक है।

श्री सिब्बल ने "यथाशीघ्र" का अर्थ "तुरंत या तत्काल" बताया। उन्होंने कहा, "'तत्काल' शब्द राज्यपालों और राष्ट्रपति, जो वास्तव में केंद्र सरकार हैं, पर भी लागू होना चाहिए, जब वे स्वीकृति प्रदान करने की बात करते हैं। विधेयकों को लंबित नहीं रखा जा सकता।" राज्यपाल को विधेयकों की संवैधानिकता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि विधानमंडल उन्हें पुनः पारित करता है, तो उन्हें स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बाद में, जब विधेयकों को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो नागरिक अदालत में उनकी संवैधानिकता की जाँच कर सकते

उन्होंने अनुच्छेद १६७ की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विचाराधीन कानूनों से राज्यपाल को अवगत कराना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यह पुर्व-विधायी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाता है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से अनौपचारिक बातचीत के लिए मिलेंगे और कानून बनाने और सुझाव लेने पर चर्चा करेंगे। बाद में, जब विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित हो जाएगा, तो राज्यपाल द्वारा अपनी स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा, श्री सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 254(2) के उस प्रावधान की ओर इशारा किया जो संसद को किसी भी अप्रिय राज्य कानून को "जोडकर, संशोधित करके, परिवर्तित करके या निरस्त करके" निष्प्रभावी करने की अनमति देता है। **CONTINUED ON**

» PAGE 10

उत्तरी राज्यों में भारी बारिश से दर्जनों लोगों की मौत

उत्तर भारत के राज्यों में बुधवार को भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी रहा, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में, सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान ने व्यापक तबाही मचाई है। राज्य सरकार ने हाल ही में हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में मरने

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद दो लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को बचाया गया। झेलम और चिनाब नदियाँ खतरें के निशान से ऊपर बह रही हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की लगभग 100 सीमा चौकियाँ और जम्मू-पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर लगभग 110 किलोमीटर लंबी बाड़ बाढ़ से प्रभावित हुई है।

छत्तीसगढ़ में. बलरामपर जिले में एक छोटे बांध के ढह जाने से चार लोगों की मौत हो गई. तीन घायल हो गए और तीन

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक नए निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा में भारी बारिश हुई और अगले कुछ दिनों में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश में, मंडी ज़िले के सुंदरनगर में सात, कुल्लू ज़िले में दो और शिमला ज़िले के बिठल में दो लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बताया कि इस मानसून के दौरान 341 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 45 बादल फटने, 122 भूस्खलन और 95 अचानक बाढ़ की घटनाएँ हुई हैं और कुल मिलाकर ₹3,526 करोड़ का नुकसान

पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि राज्य हाल के दशकों की "सबसे भीषण बाढ़" से जूझ रहा है, जिसमें 1,75,216 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फसल बर्बाद होने की खबर है। मंत्री ने कहा कि राज्य के 23 ज़िलों में से गुरदासपुर, अमृतसर, मानसा, फिरोजपुर और फाजिल्का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। **CONTINUED ON** » **PAGE 10**



नया रुख: बुधवार को मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के डंगरपोरा वथूरा में उफनती दुध गंगा नदी के किनारे बसे घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इमरान निसार

घरेलू काम के लिए सीएपीएफ कर्मियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में घरेलू कामों के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सेवारत बीएसएफ उप महानिरीक्षक (डीआईजी) संजय यादवं द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। यादव ने दावा किया था कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों को निजी घरेलू कामों में लगाया जा रहा है।

'अधिकारी के कुत्ते की देखभाल'

श्री यादव ने अपनी याचिका में कहा, "हमारे जवानों को एक उच्च पदस्थ अधिकारी के कृत्ते की देखभाल के लिए भी तैनात किया जा रहा है।" उन्होंने इस प्रथा को ऐसे समय में "जनशक्ति का घोर दुरुपयोग" कराँर दिया जब सीएपीएफ में 83,000

अधिकारी को 2021 में एक बीएसएफ कांस्टेबल को निजी काम के लिए घर पर तैनात करने के लिए सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था।

श्री यादव के वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने द हिंदू को बताया, "हाँ, उन्हें सज़ा मिली थी, लेकिन इससे उन्हें पूरे बल को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दे को उठाने से नहीं रोका जा सकता।

अपनी याचिका में, डीआईजी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, हालाँकि "वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है"।

हालाँकि, याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिकारी "दुरुपयोग के खिलाफ सार्थक कार्रवाई" करने में विफल रहे

केसीआर की बेटी कविता ने बीआरएस एमएलसी पद से इस्तीफा दिया

The Hindu Bureau HYDERABAD

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेतृत्व द्वारा एमएलसी के. कविता कों पार्टी से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद, उन्होंने घोषणा की कि वह एमएलसी पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रही हैं।

बुधवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सुश्री कविता ने कहा कि पार्टी नेताओं टी. हरीश राव और जे. संतोष कुमार के दबाव के कारण ही पार्टी सुप्रीमो और उनके पिता के. चंद्रशेखर राव को उनके खिलाफ यह कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रही हैं।

FULL REPORT » PAGE 3

T.C.A. Sharad Raghavan

NEW DELHI

टैरिफ संबंधी अनिश्चितता के कारण की पहली तिमाही में भारत में लगभग ₹२ लाख करोड़ मूल्य की पिछले वर्ष की इसी तिमाही की

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकडों पर द हिंदू द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी निजी कंपनियों ने 2025-26 की पहली तिमाही में ₹1.97 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को बंद कर दिया, जो कम से कम 2010 के बाद से सबसे अधिक राशि है, जो कि सबसे प्रारंभिक तिथि है जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, और दीर्घकालिक तिमाही औसत से 570% अधिक है।

विदेशी कंपनियों ने पहली तिमाही में ₹2 लाख करोड़ की भारतीय परियोजनाओं को रोका अनिश्चित समय जून 2025 अमेरिकी टैरिफ़ को लेकर अनिश्चितता *लाख करोड में छोडी गर्ड के बीच विदेशी कंपनियाँ परियोजनाओं का भारत में अपनी परियोजनाएँ बंद कर रही हैं और नई घोषणाओं पर धीमी गति से काम कर रही हैं। यह चार्ट पिछले 15 वर्षों में हर तिमाही में बंद की गई परियोजनाओं का

विदेशी कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष परियोजनाओं को बंद कर दिया, जो तुलना में 1,200% अधिक है।

> है, या जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन्हें क्यों रह किया गया। आंकड़ों की नवीनता को देखते हुए, रद्द की गई अधिकांश

सीएमआईई के आंकड़े रद्द की गई परियोजनाएं "सूचना के अभाव" की श्रेणी में आती हैं। परियोजनाओं को उन परियोजनाओं टैरिफ़ की समस्या में विभाजित करते हैं जिन्हें पूरी तरह हालांकि, अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इसका कारण स्पष्ट है: टैरिफ़ संबंधी से छोड़ दिया गया है, अस्थायी रूप से अनिश्चितता। इस अप्रैल और जून के बीच भारत और अमेरिका के बीच घोषित स्थगित कर दिया गया है, रुका हुआ होने वाले 'मिनी ट्रेड डील' की केई समय-सीमाएँ चूक गई, जिसका उद्देश्य

सुलझाना था।

CONTINUED ON » PAGE 10

अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ़ के मृद्दे को

To Read UPSC Edition on daily basis with MCQ's so please message at 8168305050